khabar.com/)

पटना, मंगलवार, 31.12.2019 (पौष शुक्ल पक्ष 5 संवत 2076) ▪ पटना । मुजफ्फरपुर । भागलपुर । गया । रांची । जमशेदपुर । धनबाद । देवघर । कोलकाता ।

प्रभात

रेरा कर रहा बड़ी कार्रवाई. जनवरी से प्रतिदिन ₹1000 जुर्माना

70% अपार्टमेंट निर्माताओं ने रेरा को नहीं दिया हिसाब

प्रभात खबर खास

अनिकेत त्रिवेदी ▷ पटना

राज्य में रियल इस्टेट से जुड़ी निर्माण एजेंसियों पर रेरा बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. वर्ष के अंत तक जिन निर्माण कंपनियों ने अपने खर्च व निर्माण प्रगति का लेखा-जोखा नहीं दिया है, उन पर जनवरी महीने से प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगाया जायेगा. रेरा के अधिकारियों के अनुसार राज्य में करीब 860 प्रोजेक्टों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इनमें 100 से अधिक ोजेक्ट चल रहे हैं. अधिकतर का ाम रुका हुआ है. उन सभी को पने काम की प्रगति रिपोर्ट देनी है. ानकारी के अनुसार सिर्फ 30% करीब 250) निर्माण कंपनियों ने ब तक अपनी रिपोर्ट जमा की है. ाकी की गतिविधियों की जानकारी रा को नहीं है, जबकि प्रावधानों के ताबिक उन्हें प्रतिवर्ष अपनी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देनी है.

सीए के माध्यम से तैयार रिपोर्ट करनी है जमा : रेरा ने बीते 31 अक्तूबर को नोटिस जारी कर सभी रियल इस्टेट कंपनियों से वार्षिक रिपोर्ट तलब की थी. रेरा की ओर • बाकी पेज 15 पर

860 प्रोजेक्टों का रजिस्ट्रेशन हुआ है राज्य में

100 से अधिक प्रोजेक्ट अभी चल रहे

250 निर्माण कंपनियों ने ही अब तक दी है रिपोर्ट

जनवरी से प्रोजेक्ट पर निगरानी के लिए सीए फर्म

राज्य में निर्माण होनेवाले बड़े प्राइवेट अपार्टमेंट, टाउनशिप की अलग-अलग जांच के लिए रेरा की ओर से सीए फर्म को रखा जायेगा. जनवरी से निविदा जारी कर रेरा सीए कंपनियों को अपनी सूची में शामिल करेगा. सीए फर्म बड़े निर्माण में बजट से लेकर फ्लैट धारियों के अनुबंध और उस सभी पहलुओं की जांच करेंगे. फिर इनकी रिपोर्ट के अनुसार रेरा आगे की कार्रवाई करेगा, ताकि इनकी निगरानी कर आम लोगों को बिल्डरों की धोखाधड़ी से बचाया जा सके.